उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2015/74(120)/XXVII(8)/05
दिनांक:: देहरादून :: 02 मई 2015

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व में जारी अधिसूचना सं0 786 /2011/74(120)/XXVII(8)/05, दिनांक 18 जुलाई, 2011 द्वारा कर की छूट हेतु विनिर्दिष्ट समय–सीमा "दिनांक 31–03–2016 तक अथवा जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि तक, जो भी पहले हो," तक के लिए किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से, अनुलग्नक–क में विनिर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी माल की सूची में, क्रमांक 11.1 के रूप में "मोबाईल हैण्डसैट" को भी शामिल किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(भास्करानन्द)
सचिव।

सं0 383/2015/74(120)/XXVII(8)/05 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

.......................अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
1059
05/05/15
अपर आ...

IT Products (21-04-2015)(Mobile Handset)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification NO.383/2015/74 (120)/ XXVII(8)/05 dated 02 MAY, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA ANUBHAG-8

NO. 383/2015 /74 (120)/ XXVII(8)/05

Dehradun :: Dated: :02 MAY, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956(Act no. 74 of 1956) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1897(U.P. Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to extend the period regarding exemption of tax upto "31-03-2016 or the date of implementation of GST, whichever is earlier" as specified in the previous notification no. 786/2011/74(120)/XXVII(8)/05 dated 18 July, 2011.

the Governor is also pleased to add "Mobile Handset" as serial no. 11.1 in the list of Information Technology Goods as specified in Annexure-A, with effect from the date of issue of this notification,

(Bhaskaranand)
Secretary.